

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2125]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 30, 2016/भाद्र 8, 1938

No. 2125]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 30, 2016/BHADRA 8, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2016

का.आ. 2812(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 66 की उपधारा (3) के खंड (ढ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह आदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (1) के उपबंध, उपरोक्त अधिनियम की धारा 2क में यथा परिभाषित ई-कार्ट और ई-रिक्शा जो क्रमशः मालों और वैयक्तिक सामान के साथ यात्रियों के वहन के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाते हैं या किए जाने हैं, के प्रवर्ग के परिवहन यानों को लागू नहीं होंगे।

परंतु राज्य सरकारें इन यानों को विनिर्दिष्ट क्षेत्रों या विनिर्दिष्ट सड़कों पर चलाने पर समुचित यातायात विधियों के अधीन निबंधन अधिरोपित कर सकती हैं।

[फा. सं. आरटी-11036/80/2012-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

---

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****ORDER**

New Delhi, the 30th August, 2016.

**S.O. 2812(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (n) of sub-section (3) of section 66 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby orders that the provisions of sub-section (1) of section 66 of the said Act shall not apply to any transport vehicle of the category e-cart and e-rickshaw as defined in section 2A of the aforesaid Act used, or to be used, for the purpose of carriage of goods and passengers with their personal luggage respectively :

Provided that the State Governments may impose restrictions under appropriate traffic laws on plying of these vehicles in specific areas or specific roads.

[F. No. RT-11036/80/2012-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.